



17 February, 2024

सागर आकलन दिशानिर्देश

संदर्भ: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में 'सागर आकलन' दिशानिर्देश जारी किये हैं।

सागर आकलन दिशानिर्देशों का प्रारंभ:

- केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हितधारकों की एक बैठक के दौरान 'सागर आकलन' दिशानिर्देश जारी किए।
- इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन मूल्यांकन में बदलाव लाना है।
- ये भारतीय बंदरगाह रसद प्रदर्शन और दक्षता की मैपिंग और बेंचमार्किंग, मानकों के सामंजस्य सहित बंदरगाह क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता, दक्षता और समग्र प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

GMIS 2023 से MoU का कार्यान्वयन:

- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 (GMIS 2023) में हस्ताक्षरित MoU को लागू करने के लिए हितधारकों की बैठक का समापन किया।
- इस दौरान MoU के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कई कार्य योजनाएं तैयार की गईं, जिसका लक्ष्य उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई योग्य बनाना है।
- विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने और MoU के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रतिभागी सार्थक चर्चा में शामिल थे।



GMIS 2023 का महत्व:

- GMIS 2023 विश्व स्तर पर सबसे बड़े समुद्री शिखर सम्मेलनों में से एक के रूप में कार्यरत है, इसने महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबद्धताओं को आकर्षित किया है।
- इस दौरान ₹8.35 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता के साथ 360 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, साथ ही ₹1.68 लाख करोड़ की अतिरिक्त निवेश योग्य परियोजनाओं की घोषणा भी की गई।
- इस MoU में समुद्री क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें बंदरगाह विकास, आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, बंदरगाह आधारित विकास, कूज क्षेत्र, जहाज निर्माण और ज्ञान साझा करना शामिल है।

MoU पर प्रगति:

- बंदरगाह प्रतिनिधियों ने GMIS 2023 में हस्ताक्षरित MoU की प्रगति पर अपडेट प्रदान किया, जिसमें प्राप्त लक्ष्यों/सफलताओं और उस दौरान सामने आई चुनौतियों का विवरण दिया गया।
- इस दौरान हितधारकों ने समझौतों के कार्यान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने संबंधी अपने-अपने दृष्टिकोण भी व्यक्त किये।

कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता:

- केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय MoU में उल्लिखित उद्देश्यों को मूर्त परिणामों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसके लिए सहयोग को बढ़ावा देकर, प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर और स्थायी एवं दीर्घकालिक प्रथाओं को अपनाकर, भारत का लक्ष्य अपने समुद्री क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करना और समावेशी विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

संदर्भ: अरुण हलदर, उपाध्यक्ष (कार्यवाहक अध्यक्ष) ने हाल ही में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सौंपी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के बारे में:


- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह अनुसूचित जातियों (SC) के हितों की रक्षा करने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।
- NCSC शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुसूचित जाति के लिए भेदभाव को खत्म करने और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है।
- आयोग अनुसूचित जाति के अधिकारों और कल्याण की सिफारिश करने और उनकी शिकायतों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्पत्ति:

- प्रारंभ में, संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था।
- आगे चलकर 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम ने विशेष अधिकारी प्रणाली को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग में बदल दिया।
- इसके बाद, 2003 के 89वें संशोधन अधिनियम ने आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया:
 - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और
 - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)।

Scheduled Castes in India

Population (Census 2011):




Literacy Rate:




Sex Ratio



States with highest SC Literacy Rate



State-wise Lok Sabha seats reserved for the Scheduled Castes



संगठन:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- आयोग के सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता और एससी समुदायों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर चुना जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के कार्य:

- भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की निगरानी और जांच करना।
- अनुसूचित जाति के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने की विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना।
- अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना।

Face to Face Centres





17 February, 2024

- सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रपति को नियमित रिपोर्ट प्रदान करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना।
- अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कदमों की सिफारिश करना।
- एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए उसी तरह के कार्यों का निर्वहन करना जैसा वह अनुसूचित जाति के लिए करता है।
- **अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए अन्य संवैधानिक प्रावधान:**
 - अनुच्छेद 15(4) राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है।
 - अनुच्छेद 16(4 A) सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है।
 - अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाता है।
 - अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने का निर्देश देता है।
 - अनुच्छेद 330 और 332 लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित करते हैं।
 - संविधान का भाग IX और भाग IXA क्रमशः स्थानीय सरकारी निकायों, अर्थात् पंचायतों और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रदान करता है।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

संदर्भ: कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित हालिया परिवर्तनों का विरोध करते हुए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 को प्रतिकूल मानते हैं।

- **प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना:**
 - यह अधिनियम जल प्रदूषण को सक्रिय रूप से रोकने और प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) दोनों की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - यह विधेयक कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाने के साथ-साथ प्रवर्तन के साधन के रूप में दंड लगाने का विकल्प चुनकर एक महत्वपूर्ण बदलाव को इंगित करता है।
 - प्रारंभ में, इस कानून का अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कुछ चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तृत है, जिसमें अन्य राज्यों के लिए उचित प्रस्तावों के माध्यम से इसे अपनाने का प्रावधान है।
- **उद्योगों के लिए सहमति छूट:**
 - जल निकासी, सीवरों या भूमि में सीवेज मुक्त करने वाले औद्योगिक उद्यमों को संबंधित SPCB से पूर्व सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
 - यह विधेयक केंद्र सरकार को CPCB के परामर्श से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट देने का अधिकार देता है।

- इसके अलावा, यह केंद्र सरकार को SPCB द्वारा ऐसी सहमति देने, इनकार करने या रद्द करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
- इसके साथ ही आवश्यक सहमति के बिना संचालन या निगरानी उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने पर अधिनियम में उल्लिखित परिणामों की गंभीरता को बनाए रखते हुए दंड का भी प्रावधान है।
- **राज्य बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति:**
 - वर्तमान में यह अधिनियम इस बात को अनिवार्य करता है, कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए।
 - विधेयक में यह निर्दिष्ट करके वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है कि केंद्र सरकार नामांकन प्रक्रिया निर्धारित करेगी और अध्यक्ष के लिए सेवा के नियमों और शर्तों को रेखांकित करेगी।
- **प्रदूषणकारी पदार्थ का निर्वहन:**
 - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल निकासी में हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थों के निर्वहन में योगदान देने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
 - जल निकासी या भूमि पर प्रदूषणकारी पदार्थों से संबंधित निर्धारित मानकों का उल्लंघन, भूमि सुधार के लिए गैर-प्रदूषणकारी सामग्री एकत्र करने जैसी विशिष्ट छूटों को छोड़कर, अब विधेयक के अनुसार कारावास के बजाय दंड के प्रावधान हैं।
- **अन्य अपराधों के लिए दंड:**
 - ऐसे मामलों में जहां अपराध स्पष्ट रूप से अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं हैं, यह विधेयक कारावास को 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक के जुर्माने से बदल देता है।
 - साथ ही लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप कारावास का विस्तार या अत्यधिक वित्तीय जुर्माना हो सकता है, जो गैर-अनुपालन के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करेगा।
- **दंड का निर्णय:**
 - आवश्यक दंड निर्धारित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, यह विधेयक केंद्र सरकार को एक मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए, न्यायनिर्णयन अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है।
 - इन अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ लगाए गए जुर्माने का एक प्रतिशत जमा करने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील दर्ज की जा सकती है।
- **अपराधों का संज्ञान:**
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या संबंधित व्यक्तियों की शिकायतों के अलावा, यह विधेयक अदालत के लिए अपराधों का संज्ञान लेने के लिए आधार का निर्माण करता है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की शिकायतों को भी शामिल किया गया है।
- **सरकारी विभागों द्वारा अपराध:**
 - इस अधिनियम में कहा गया है कि विभागों के प्रमुख अपने संबंधित सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं, बशर्ते कि वे उचित परिश्रम का प्रदर्शन करें।
 - साथ ही विधेयक में जवाबदेही और अनुपालन पर जोर देते हुए सरकारी विभागों द्वारा उल्लंघन के लिए मुख्य नेतृत्वकर्ता के मूल वेतन से कटौती के रूप में दंड का भी प्रस्ताव किया गया है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

झाड़ू घास



हाल ही में असम के उमस्वाई गांव में आदिवासी लोग झाड़ू घास की कटाई करते हुए देखे गए जो फरवरी के अंत तक जारी रहने की उम्मीद है।


झाड़ू घास (Broom Grass) के बारे में:

- झाड़ू घास, जिसे वैज्ञानिक रूप से थिसानोलेना मैक्सिमा के रूप में जाना जाता है, Poaceae परिवार से संबंधित है।
- इसकी खेती असम के कार्बी आंगलॉग पहाड़ियों में व्यापक रूप से की जाती है।
- तिव, कार्बी और खासी आदिवासी समुदाय झूम खेती के तहत झाड़ू घास की मिश्रित खेती करते हैं।
- यह घास झाड़ू बनाने, ईंधन और संकट के दौरान चारा के रूप में कई काम आती है और इसकी सतत खेती प्रथाओं के कारण इसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद माना जाता है।
- यह रेतीले दोमट से लेकर मिट्टी के दोमट तक विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगती है।
- इसे बीज और प्रकंद (संशोधित तना) दोनों के माध्यम से उगाया जा सकता है।

Face to Face Centres





<p>आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> असम भारत में इस नकदी फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। <p>हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) का हवाला देते हुए, सभी राज्य विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा छह महीने तक हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।</p> <p>आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) एक केंद्रीय कानून है जो सरकार को कुछ उद्योगों में हड़ताल को प्रतिबंधित करने और मध्यस्थता या सुलह की मांग करने की अनुमति देता है। यह अधिनियम 1968 में भारतीय संसद द्वारा कुछ ऐसी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो यदि बाधित होती हैं, तो लोगों के दैनिक जीवन को नुकसान पहुंचाएंगी। अधिनियम सरकार को किसी भी आर्थिक गतिविधि या सेवा को "आवश्यक" के रूप में नामित करने का अधिकार देता है जिसमें व्यवधान लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। प्रत्येक राज्य का अपना ESMA भी होता है जिसमें संघीय कानून से थोड़ा अलग प्रावधान होते हैं, जिससे राज्य आवश्यक सेवाओं का चयन कर सकते हैं और ESMA प्रवर्तन शुरू कर सकते हैं। ESMA के तहत हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को बर्खास्तगी, कानूनी कार्रवाई, बिना वारंट गिरफ्तारी, और एक साल तक कारावास या जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।
<p>यूरोपीय बाइसन</p> 	<p>हाल ही में, विश्व वन्यजीव कोष (WWF) ने रूसी आक्रमण के दौरान Zalissia राष्ट्रीय प्रकृति आरक्षित क्षेत्र में सभी नर बाइसन के गायब हो जाने के बाद मादाओं के झुंड को विलुप्त होने से बचाने के लिए सांड बाइसन को स्थानांतरित करने और अभियान शुरू किया है।</p> <p>यूरोपीय बाइसन के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> यूरोपीय बाइसन (बाइसन बोनासस), जिसे विसेंट के रूप में भी जाना जाता है दुनिया के सबसे लुप्तप्राय बड़े स्तनधारियों में से एक है और यह शाकाहारी यूरोपीय स्तर पर संरक्षित है। यह दिखने में अमेरिकी बाइसन के समान है, लेकिन यह लंबा है और इसके पैर अधिक लंबे होते हैं। यह पारिस्थितिक गलियारों को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे भूरे भालू, भेड़िया आदि प्रजातियों का प्रवासन संभव होता है। <p>विश्व वन्यजीव कोष (WWF):</p> <ul style="list-style-type: none"> विश्व वन्यजीव कोष (WWF) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जो प्रकृति और इसकी प्रजातियों को संरक्षित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है।
<p>परह्याले ओडियन</p> 	<p>हाल ही में, ओडिशा के बेरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिल्का झील में एक नई प्रजाति के समुद्री एम्फीपोड, परह्याले ओडियन की खोज की है।</p> <p>परह्याले ओडियन (Parhyale Odian) के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> परह्याले ओडियन समुद्री एम्फीपोड की एक नव-खोजी प्रजाति है जो झींगा जैसा क्रस्टेशियन है और ओडिशा की चिल्का झील में पाया जाता है। यह जीनस परह्याले से संबंधित है जिसमें अब विश्व स्तर पर कुल 16 प्रजातियां शामिल हैं। ओडिशा की मूल भाषा, उडिया के नाम पर नामित यह प्रजाति भूरे रंग की, लगभग आठ मिलीमीटर लंबी और 13 जोड़ी टांगों वाली है। यह उथले, ज्वारीय और उष्णकटिबंधीय समुद्री वातावरण में रहता है। जीनस परह्याले को पहली बार 1899 में वर्जिन द्वीपसमूह से स्टेबिंग द्वारा देखा गया था। <p>चिल्का झील:</p> <ul style="list-style-type: none"> चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख शीतकालीन आवास स्थल के रूप में कार्य करती है। यह एशिया का सबसे बड़ी लैगून है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी लैगून है। 1981 में, चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था जो इसके पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करता है।
<p>चाहबहार बंदरगाह</p>	<p>हाल ही में, भारत ने मध्य एशियाई देशों से आग्रह किया है कि वे भारत और अन्य वैश्विक भागीदारों के साथ व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करें।</p> <p>चाबहार बंदरगाह के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के साथ मकरान तट पर स्थित है। यह ईरान का एकमात्र महासागरीय बंदरगाह है और शाहिद बेहेशती और शाहिद कलंतरी नामक दो अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं। इस बंदरगाह को भारत, ईरान और अफगानिस्तान के मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारत और ईरान ने 2016 में 10 वर्षों के लिए शहीद बेहेशती टर्मिनल को विकसित और संचालित करने के लिए भारत के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका प्रस्ताव 1973 में ईरान के अंतिम शाह द्वारा किया गया था लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति से इसका विकास बाधित हो गया। पहला चरण ईरान-इराक युद्ध (1983) के दौरान फारस की खाड़ी के बंदरगाहों पर हमलों की आशंका को कम करने के लिए पूर्व की ओर समुद्री व्यापार को स्थानांतरित करने के लिए खोला गया था। यह पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत के व्यापार मार्गों में विविधता लाता है जिसने ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा है। 





17 February, 2024

सुर्खियों में स्थल

कजाखस्तान

कजाखस्तान में, अब तक के सबसे बड़े मीथेन लीक में से एक में छह महीनों में अनुमानित 127,000 टन मीथेन का रिसाव हुआ है, जिससे उपग्रह डेटा द्वारा पुष्टि की गई मीथेन उत्सर्जन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

कजाखस्तान (राजधानी: अस्ताना)



अवस्थिति : कजाखस्तान, आधिकारिक तौर पर कजाखस्तान गणराज्य, अधिकतर मध्य एशिया में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है।

राजनीतिक सीमाएँ: कजाखस्तान की सीमाएँ चीन (पूर्व), कैस्पियन सागर (पश्चिम), रूस (उत्तर और पश्चिम), उज्बेकिस्तान (दक्षिण), किर्गिस्तान (दक्षिणपूर्व) और तुर्कमेनिस्तान (दक्षिणपश्चिम) से लगती हैं।

भौगोलिक विशेषताएँ:

- कजाखस्तान का उच्चतम बिंदु खान टेंग्री है।
- कजाखस्तान में प्रमुख नदियों में इर्तिश, सीर, दरिया, इली, उरल और चू शामिल हैं, जो देश की सिंचाई, परिवहन और पारिस्थितिकी में योगदान देती हैं।
- कजाखस्तान खनिजों से समृद्ध है, जिसमें कोयला, लौह अयस्क, तांबा, सोना, यूरेनियम और विभिन्न दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं जो इसे वैश्विक खनन उद्योग में एक महत्वपूर्ण देश बनाते हैं।

POINTS TO PONDER

- 1980 के दशक के सर्फ डिटर्जेंट विज्ञापन में ललितार्जी की भूमिका निभाने और दूरदर्शन धारावाहिक उड़ान की स्टार रहनीं, किस्स प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेत्री का हाल ही में हृदय गति रुकने से निधन हो गया? - **कविता चौधरी**
- दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) के साथ कौन सी कंपनी सहयोग कर रही है? - **भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)**
- हाल ही में कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? - **जापान (यूएसए, चीन, जर्मनी दुनिया की शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जबकि भारत को 5वीं सबसे बड़ी के रूप में स्थान दिया गया है)**
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए विशेष रूप से कौन सी पहल शुरू की गई? - **युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम (YUVIKA)**
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का उपयोग करेगा, उसका उपनाम क्या दिया गया है? (शाम 5.35 बजे) - **Naughty Boy (शरारती लड़का)**

Face to Face Centres

